इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2022—आषाढ़ 28, शक 1944

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधि. क्र. 90 एफ1—34/2022/अठारह—3 भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2022

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 37) की धारा 43 तथा 55 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किये जायें, अर्थात्:—

"2. परिभाषाएँ.— इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

"(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है, जिला कलक्टर;

(ग) "पार्षद" से अभिप्रेत है, निर्वाचित पार्षद;

(घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न प्ररूप;

(ङ) "सम्मिलन" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 43 के साथ पठित धारा 55 के अधीन परिषद का प्रथम सम्मिलन;

(च) "पीठासीन अधिकारी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 55 की उप–धारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी;

(एक) जिला मुख्यालय की नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु–कलक्टर;

(दो) जिला मुख्यालय से भिन्न नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषद् के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु कलक्टर द्वारा नियुक्त अपर कलक्टर/डिप्टी कलक्टर/अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार।"।

2. नियम 3 में,–

(एक) उप–नियम (1), के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(1) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसे समय तथा स्थान पर होगा, जैसा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस संबंध में अवधारित किया जाए।"।

(दो) उप–नियम (4) में, परन्तुक में, शब्द "नायब तहसीलदार" विलोपित किए जाए।

3. नियम 22 में, शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" के स्थान पर, शब्द "राज्य सरकार" स्थापित किए जाए, अर्थात्:–

4. नियम 24 में,–

(एक) उप–नियम (1), में शब्द "तथा प्राधिकृत अधिकारी" विलोपित किए जाएं0।

(दो) उप–नियम (2) में शब्द "मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग" से पूर्व, शब्द "राज्य सरकार तथा" स्थापित किए जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2022

क्र. एफ–1–34–2022–अठारह–3.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 90 एफ–1–34–2022–अठारह–3, दिनांक 19 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Not. No. 90 F-1-34-2022-XVIII-3.- Bhopal, the 19th July 2022

In exercise of the powers conferred by section 43 and 55 read with section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nagar Palika Adhyaksh Tatha Upadhyaksh Ka Nirvachan Niyam, 2019, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. For rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(b) "Authorised Officer" means District Collector;

(c) "Councillor" means the elected councilor;

(d) "Form: means forms appended to these rules;

(e) "Meeting" means the first meeting of the Council under section 43 read with section 55 of the Act;

(f) "Presiding Officer" means the officer appointed under sub-section (2) of section 55 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961-

(i) for the election of the President and Vice-President of the Municipality of District Headquarter- Collector;

(ii) for the election of the President and Vice-President of the Municipal Councils and Nagar Parishad of other than the district headquarters –Upper Collector/Deputy Collector/Sub-Divisional Officer/Tehsildar.".

2. In rule 3,-

(i) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) The election of the President and Vice-President shall be held at such time and place as may be determined by the Authorised Officer.".

(ii) In the proviso of sub-rule (4), the words "Nayab Tehsildar" shall be omitted

3. In rule 22, for the words, "State Election Commission", the words "State Government" shall be substituted.

4. In rule 24,-

(i) In sub-rule (1), the words "the Authorised Officer" shall be omitted.

(ii) In sub-rule (2), before the words "State election Commission", the words "State Government and" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R.K. KARTIKEY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022.